अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
हाथीभाटा, पावर हाउस, अजमेर

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ./योजना/आर.ई/प्रे. 1924 दिनांक 4.06.2010

कार्यालय आदेश संख्या 117

विषयः– कृषि कनेक्षन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसगतियां उत्पन्न हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है। कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" पूर्व में दिसम्बर 2009 तक लागू की गई जिसके तहत कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक होतो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पैनेल्टी राशि नहीं ली जाने तथा बढे भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिये जाने उपभोक्ता की बिलिंग बढे हुए भार के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये । ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुए पर जो उसी खसरा /खेत परिसर/मुरब्बा में हो दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया था।

इस संबंध में उक्त योजना कों 1 जून 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक एक बार फिर लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पिछले आदेशों के निम्न निर्णय भी शामिल किये गये है:–

1. इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्तओं को जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिंग के दौरान भी लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।
2. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु उनके लिये धरोहर राशि के अतिरिक्त रु 2500/– प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगे।
3. यदि पद (2) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति एच.पी. (2500+2500) कुल रूपये 5000/– मात्र पैनेल्टी जमा करानी होगीं

उक्त स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 1 जून 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक प्रभावी रहेगी।

उक्त योजना की सुचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

अधीक्षण अभियनता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. प्रावैधिक सहायक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. सम्भागीय/मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
6. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा/रेवेन्यु/आई.ए.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. प्रावैधिक सहायक प्रबन्ध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावैधिक–सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. 'वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)